

दिनांक : नवम्बर 12, 2018

लोक सूचना पदाधिकारी
सी०पी०पी०आर०आई०
सहारनपुर - 247 001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा वाँछित सूचना माँगी गयी,
जिसका विवरण निम्न है।

(1) श्री मु० इस्लाम पुत्र स्वर्गीय अता मोहम्मद को आपने 19 मई 2018 को लोवर डिविजन कर्लक पद
के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से
निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट देने की कृपा करें।

(2) श्री मु० इस्लाम को लिखित परीक्षा के लिए आपने दूबारा 17 जून 2018 को लोवर डिविजन कर्लक
पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने टेस्ट को सुनियोजित ढंग से
फिर निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की नोट सीट देने की कृपा करें।

(3) श्री मु० इस्लाम को लिखित परीक्षा के लिए आपने तीसरी बार 9 सितम्बर 2018 को लोवर डिविजन
कर्लक पद के लिए लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। परन्तु आपने लिखित परीक्षा को
बार-बार सुनियोजित ढंग से फिर निरस्त कर दिया। आपसे अनुरोध है कि निरस्त लिखित परीक्षा की
नोट सीट देने की कृपा करें।

(4) मु० इस्लाम एक किसान परिवार से प्रमानेन्ट नियुक्ति के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है। आपने
कितने किसान परिवारों को संस्थान द्वारा नियुक्ति के लिए लिखित दिया है, और कितने किसान
परिवारों को संस्थान में नियुक्ति दी है। नोट सीट सहित उत्तर देने का कष्ट करें।

(5) जी०सी० से मु० इस्लाम के लिए सितम्बर 2009 में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पारित आदेश लेने के
बाद क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को आप के द्वारा बार-बार मेरा नियुक्ति
मेटर ले जाना जरूरी है, क्या संयुक्त सचिव व डिप्टी सेकेट्री तथा अन्डर सेकेट्री को नियुक्ति प्रदान
करने का या जी०सी द्वारा परित ओदश को निरस्त करने का अधिकार है। नोट सीट सहित उत्तर देने
का कष्ट करें।

धन्यवाद

Receipt No 270
12.11.18

प्रार्थी
मु०इस्लाम 12/11/18
मु० इस्लाम पुत्र अता मो०
जे०आर०एफ०
सी०पी०पी०आर०आई०,
सहारनपुर - 247 001